कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ–6/सैट–अप/वो.2/2019 दिनांकः 3/6/19

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त मण्डल

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारं शिक्षा/मा. शिक्षा समस्त

विषयः– प्राशि अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रावि विद्यालयों में शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के विद्यालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन बाबत् काउंसलिंग के संबंध में।

प्रसंगः– शासन का पत्र क्रमांकः पं.5(8)प्राशि/2016 जयपुर दिनांकः 28.05.19 तथा इस कार्यालय का पत्रांकः शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/सी/स्टा. पैटर्न/2018/एल–1 दिनांकः 29.05.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित राप्रावि/राउप्रा विद्यालयों में शिक्षको/शैक्षणिक कार्मिको के पदों के विद्यालयवार आवंटन (स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन के संबंध में दिशा निर्देश एवं कलैण्डर जारी किया गया है।

प्रासंगिक पत्रों के संबंध में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्निधारण पश्चात काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है:–

1. स्टाफिंग पैर्टन के पुनर्निर्धारण एवं समायोजन के संबंध में समस्त कार्यवाही इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.05.19 में दिए गये कलैण्डर के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. विगत वर्ष में हुए स्थानान्तरणों के संबंध में राज्य सरकार के पत्र/आदेश कमांक प. 5 (5) प्रा. शिक्षा/स्थानान्तरण/2018 जयपुर दिनांक 27.02.2019 एवं तद्संबंधित इस कार्यालय का ओदश कमांकः– शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ–6 /स्थानान्तरण प्रस्ताव/वो.1/2019 दिनांक 28.02.2019 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि "ऐसे समस्त स्थानान्तरण आदेश जिनकी अभी तक पालना नहीं हो पाई को निरस्त कर पूर्व पदस्थापित मूल स्थान/पंचायत समिति/जिले में रिक्त स्थान पर कार्यमुक्त करें।" उक्त आदेश की पालना में निम्नानुसार दिंनाक 04.06.2019 तक अनिवार्यतः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें–

(अ) किसी अध्यापक का प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया था और वह माननीय न्यायालय द्वारा स्टे आदेश से वहीं पदस्थापित है और इस कारण इसके पद पर अन्य विद्यालय/जिले से स्थानान्तरित होकर आए अध्यापक के संबंध में स्थानान्तरण आदेश की पालना न हो सकी हो तो राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(ब) किस अध्यापक का स्वैच्छिक/प्रशासनिक स्थानान्तरण किया गया था और स्थानान्तरित विद्यालय में स्पष्ट पद रिक्त नहीं होने के कारण स्थानान्तरण आदेश में वर्णित शर्त **"स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शालादर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।"** की पालना नहीं किए जाने अर्थात **कार्मिक की स्थानान्तरित विद्यालय में शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण प्रविष्टि नहीं किए जाने** से कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं होने हुई है अर्थात कार्मिक की स्थानान्तरित विद्यालय में शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण प्रविष्टि नहीं हुई है और **कार्मिक को स्थानान्तरित विद्यालय/अन्य विद्यालय/कार्यालय में ऑफलाईन कार्यग्रहण करवाया गया है** तो स्थानान्तरण आदेश की पालना न हो सकने के कारण राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अर्थात स्थानान्तरित आदेशों से स्थानान्तरित कोई भी कार्मिक ऑफ लाईन कार्यग्रहण नहीं किया हुआ होना चाहिए।

नोटः–

(अ) राज्य सरकार के पत्र/आदेश क्रमांक प. 5 (5) प्रा. शिक्षा/स्थानान्तरण/2018 जयपुर दिनांक 27.02.2019 एवं तद्संबंधित इस कार्यालय का ओदश क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ–6 /स्थानान्तरण प्रस्ताव/वो.1/2019 दिनांक 28.02.2019 की पालना में यदि किसी स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में ही नियमानुसार समायोजन हेतु पद रिक्त होने पर कार्यमुक्ति अपडेट करवाते हुए स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में ही कार्यग्रहण प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावे। तथा स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में समायोजन हेतु पद रिक्त नहीं होने पर शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/बीकानेर से कार्यमुक्ति निरस्त करवाकर स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय में मैपिंग सहित अधिशेष प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(ब) दिनांक 05.06.2019 को उक्त आदेश की पालना नहीं करने वाले अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करते हुए प्रति निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

3. 6 डी के तहत सैटअप परिवर्तित / राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त अध्यापक जिसे प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से प्रारम्भिक शिक्षा शहरी क्षेत्र के विद्यालय में समायोजित किया गया हो एवं आदिनांक तक चुनाव कार्य/अन्य कारण से कार्यमुक्त नहीं किया गया हो उसे दिनांक 04.06.2019 तक तत्काल प्रभाव से शालादर्पण के माध्यम से समायोजित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करें। **प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजित कार्मिकों से संबंधित सभी परिवेदनाएं संबंधित CDEO/DEO द्वारा निस्तारित की जा चुकी है। अतः प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजित सभी कार्मिकों को अनिवार्यतः संबंधित माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय के लिए कार्यमुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करें।** यदि संबंधित अधिकारी द्वारा यदि कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो दिनांक 05.06.2019 को ऐसे कार्यमुक्त नहीं करने वाले अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक

कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करते हुए प्रति निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि कार्मिक ने प्रारम्भिक से माध्यमिक शिक्षा में हुए पदस्थापन आदेश पर स्टे ले लिया हो तो कार्मिक के समायोजन से पूर्व पदस्थापित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में ही मैपिंग के साथ अधिशेष प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4. शाला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत पद पर कार्यरत कार्मिक का ही वेतन आहरित किया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी ऑफ लाईन कार्यरत कार्मिक का वेतन आहरित नहीं करवाया जाना सुनिश्चत करावें। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वेतन व्यवस्था के लिए जारी आदेश निदेशक द्वारा अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावी होगें।
5. निलम्बित कार्मिक का जिस कार्यालय में मुख्यालय किया गया है कार्मिक की शाला दर्पण पोर्टल पर उसी कार्यालय में ही प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. यदि कोई विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है/क्रमोन्नत नहीं हुआ है तो शाला दर्पण प्रकोष्ठ बीकानेर/जयपुर से समन्वय करके शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित/क्रमोन्नत करवावें तथा विद्यालय का स्टाफिंग पैर्टन जनरेट/ रिजनरेट करवावें साथ ही इस कारण कोई कार्मिक पोर्टल पर ऑन-लाईन कार्यग्रहण नहीं कर सका हो तो कार्मिक की ऑन-लाईन कार्यग्रहण प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. सीधी भर्ती से नवचयनित कार्मिक का जिस मैपिंग किए हुए कार्मिक के स्थान पर पदस्थापन हुआ है उस मैपिंग किए हुए कार्मिक को शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर से अधिशेष करवाकर मैपिंग करवाया जाकर नवचयनित कार्मिक को शालादर्पण पोर्टल कर कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. पदों के विद्यालय वार आवंटन (स्टाफिंग पैर्टन के पुनः निर्धारण) एवं समानीकरण/पदस्थापन बाबत शाला दर्पण पोर्टल द्वारा काउंसलिग के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 28.05.2019 के बिन्दु संख्या 11 से बिन्दु संख्या 20 तक विस्तृत दिशा निर्दश अंकित है, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 28.05.2019 के बिन्दु संख्या 13 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में संबंधित पद एवं विषय में समायोजित कार्मिकों में से जिले में कार्यग्रहण तिथि के आधार पर कनिष्ठतम कार्मिक से जिले में अधिक ठहराव (वरिष्ठ) वाले प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के नियम 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तित एवं राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत नियुक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की वर्तमान जिले में कार्यग्रहण तिथि की वरीयतानुसार मिश्रित सूची शाला दर्पण पोर्टल द्वारा तैयार कर दिनांक 05.06.2019 तक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा में समायोजन हेतु सुपुर्द किया जाना सुनिश्चित करावे। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांकः 07.06.2019 तक काउंसलिंग द्वारा माध्यमिक शिक्षा में समायोजित किया जाना सुनिश्चित करावे।
10. शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त कार्मिकों का मूल पद एवं मूल विषय सेवा अभिलेख के अनुसार दिनांकः 05.06.2019 तक शत प्रतिशत अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करावे। दिनांकः 06.06.

2019 के उपरान्त किसी भी कार्मिक का मूल पद एवं मूल विषय सेवा अभिलेखों से भिन्न पाये जाने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारी एवं कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

11. यह भी सुनिश्चित करावें कि शून्य नामांकन वाले किसी भी विद्यालय में किसी भी अध्यापक का पदस्थापन/समायोजन न हो।
12. यह भी सुनिश्चित करावें कि समस्त कार्मिकों की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि अवश्य हो, कोई भी कार्मिक ऑफलाईन न रहे।
13. यह भी सुनिश्चित करावें कि काउंसलिग प्रकिया के पश्चात विद्यालयों में अध्यापकों के दोहरे पदस्थापन की स्थिति न रहे।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पं. राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा एंव पंचायती राज (प्राशि) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. उपायुक्त, शाला दर्पण पोर्टल, जयपुर को दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
7. सहायक निदेशक, शाला दर्शन प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. पीईईओ, समस्त।
9. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. संस्था प्रधान, समस्त विद्यालय।
11. संबंधित कार्मिकों को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की शत प्रतिशतपालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं पं. राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान
बीकानेर